“पोषण माह” अंतर्गत सितम्बर, 2020 में की जाने वाली गतिविधियों की विस्तृत विवरणी

1. आभासी वेबिनार श्रृंखला (प्रथम सप्ताह)

वैश्विक कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए सभी आगनवाड़ी सेविकाओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, महिला पर्यवेक्षिकाओं, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी जिला पदाधिकारियों के क्षमता संवर्धन के लिए निदेशालय द्वारा इस माह में स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बंधित कुछ प्रमुख विषयों पर आभासी प्रशिक्षण श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। इस आभासी प्रशिक्षण श्रृंखला में प्रतिभागिता के आवश्यक लिंक यथोचित समय पर आपके साथ विभिन्न माध्यमों से साझा किए जाएंगे। सभी आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाएं Youtube लिंक के माध्यम से इन आभासी प्रशिक्षण में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करे, इस हेतु समय समय पर निदेशालय द्वारा निर्गत लिंक्स का शीघ्रता से प्रसार करना सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक	विषय
2 सितम्बर	कोरोना महामारी के दौरान समुदाय आधारित गतिविधि, वृद्धि निगरानी एवं अतिकुपोषित बच्चें को चिन्हित करने की प्रक्रिया
3 सितम्बर	स्तनपान, खाद्य विविधिता एवं पोषण वाटिका
4 सितम्बर	कोरोना के दौरान परामर्श तथा भेदभाव व लांक्षण का प्रबंधन
5 सितम्बर	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE), खाद्य सुरक्षा

2. पोषण परामर्श डेस्क की स्थापना (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पाँचवा सप्ताह)

सम्पूर्ण पोषण माह के दौरान सभी सदर अस्पतालों अथवा ज़िला प्रोग्राम कार्यालय परिसर में ज़िला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा परियोजना / प्रखण्ड कार्यालय परिसर में बा.वि.परि.पदा. की देखरेख में पोषण परामर्श केन्द्रों को संचालित किया जाये, जिसके अंतर्गत जन-समुदाय को निम्लिखित सेवाएँ प्रदान की जा सकती है:

- माँ, बच्चें और सम्पूर्ण परिवार के पोषण से सम्बंधित दुविधाओं का निराकरण हेतु परामर्श
- 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी
- मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना (MKUY) एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (PMMVY) की जानकारी

बजटीय प्रावधान: ज़िला स्तरीय पोषण परामर्श डेस्क की स्थापना हेतु अधिकतम 5000 रु. प्रति परामर्श केंद्र एवं परियोजना स्तरीय पोषण परामर्श डेस्क की स्थापना हेतु अधिकतम 3000 रु. प्रति परामर्श केंद्र निर्धारित है। उपरोक्त परामर्श हेतु जानकार व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दें। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से किया जाए।

3. ज़िला मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर पोषण संदेशों का ऑडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पाँचवा सप्ताह)

पोषण माह में सभी परियोजना मुख्यालय द्वारा स्थानीय स्तर से ई-रिक्शा/ टेम्पो/ रिक्शा इत्यादि का उपयोग कर पोषण के संदेशों द्वारा समुदाय को जागरूक किया जाना है, इसके अंतर्गत परियोजना कार्यालय द्वारा चिन्हित वाहन द्वारा ज़िला मुख्यालय के विभिन्न वार्डों/ मुहल्लों तथा प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतो अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संदेशों को ऑडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाए।

समय: प्रत्येक सप्ताह में किसी एक कार्यदिवस में सुबह 11 से सांयकाल 4 बजे तक
आवश्यक सामाग्री: ई रिक्शा/ टेम्पो, लाउडस्पीकर, बैनर (पोषण से संबंधित स्लोगन लिखा हुआ पोस्टर बैनर), ऑडियो सन्देश (कुछ सैम्पल ऑडियो लिंक द्वारा भेजा जायेगा)
बजटीय प्रावधान: इस कार्य हेतु पोस्टर-बैनर के लिए ज़िला एवं परियोजना के लिए अधिकतम 2,000 रू०तथा प्रचार प्रसार के लिए प्रति रिक्शा प्रति दिन अधिकतम 2,000 रू० निर्धारित की गई है। इस प्रकार ज़िला हेतु अधिकतम 10,000 रू० एवं परियोजना हेतु अधिकतम 10,000 रू० निर्धारित की गई है।

4. दिवाल लेखन (प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह)

आगनवाड़ी सेविका / सहायिका / आशा एवं जीविका की दीदीयों के माध्यम से पोषक क्षेत्र में प्रमुख सामुदायिक स्थलों पर पोषण के संदेशों को लेखनी के माध्यम से प्रसारित किया जाना है।

दिवाल लेखन हेतु निम्नलिखित स्लोगन (नारा) का उपयोग किया जा सकता है:

1. सही पोषण, देश रोशन
2. माँ के दूध में अमृत धारा,पी कर बच्चा पुष्ट हमारा
3. हमें हमारा बचपन प्यारा,पोषण है अधिकार हमारा
4. माँ के आँचल में रसधार, बच्चों का उत्तम आधार
5. स्वस्थ बच्चा, देश अच्छा
6. बच्चों की सफाई का रखे ध्यान ,अच्छे माँ- बाप की पहचान
7. हमें चाहिए अच्छा पोषण, दूर होगा तभी कुपोषण
8. बच्चों को कुपोषण से बचाये, हाथों की साफ-सफाई एवं स्वच्छता अपनाये
9. हमें चाहिए अपना पोषण, हम जियेगे अपना बचपन
10. पोषण में मुस्कान है,स्वास्थ्य की पहचान है
11. पोषण है हम सब का आधार, विविध प्रकार का संतुलित भोजन, स्वस्थ विचार
12. जीने का हो यही आधार, विविध प्रकार का संतुलित भोजन, स्वस्थ विचार
13. घर-घर का यह नारा हो, स्वस्थ परिवार हमारा हो
14. बच्चों के प्रारंभिक 6 वर्ष उनके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है
15. बच्चों के साथ घर पर रोजाना कसरत करे एवं खेल खेलें
16. मम्मी -पापा भूल न जाना, संतुलित भोजन ही बच्चों को खिलाना
17. जन-जन की यही पुकार, कुपोषण मुक्त रहे बिहार
18. स्वस्थ्य भोजन का आधार,थाली में रखे भोजन के विविध प्रकार और तीन रंगो का खाना हर बार
19. भोजन की मात्रा का रखे ध्यान, बने स्वस्थ्य और बलवान
20. खुले में शौच न करे, हमेशा शौचालय का प्रयोग करे
21. खाना खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से अपना हाथ जरूर धोयें
22. मोबाइल नंबर 08033094243 पर मिस्ड कॉल कर कहानी सुनाएँ
23. अतिगंभीर कुपोषण, तुरंत करो प्रबंधन
24. घर में पोषण वाटिका बनाओ, खाने में विविधिता लाओं
25. अतिगंभीर कुपोषित बच्चें की करो पहचान, तुरंत सेवा देकर बचाओ बच्चों की जान

बजटीय प्रावधान: दिवाल लेखन, अतिगंभीर बच्चों के लिए कार्ड/ घर चिन्हित एवं चित्रांकन प्रतियोगिता हेतु प्रति केन्द्र अधिकतम 250 रू० निर्धारित है।

5. 'घर-घर क्यारी, पोषण थाली' सह आगनवाड़ी केन्द्रों पर पौधारोपण (प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय सप्ताह)

पोषण माह के दौरान प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र जहां पौधे लगाने के लिए स्थान की उपलब्धता हो, वहां कुछ प्रमुख पौधे जैसे सहजन, पपीता, अमरुद, नींबू (स्थानीय उपलब्धता के अनुसार) का पौधारोपण किया

जाये। इसी तरह ज़िला एवं प्रखण्ड कार्यालय परिसर में भी माह के प्रथम सप्ताह में पौधारोपण किया जायेगा जिसमे प्रखण्ड के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है।

इस पौधारोपण के माध्यम से केन्द्रों पर माह के दौरान 'घर-घर क्यारी, पोषण थाली' अभियान की आरंभ किया जाये, जिसके अंतर्गत पोषक क्षेत्र में हर उस परिवार में पोषण वाटिका लगवाने की कोशिश करनी है जहाँ पर इसके लिए स्थान की उपलब्धता हो।

बजटीय प्रावधान: इस हेतु प्रत्येक जिलें के 10% आगनवाड़ी केंद्र, जिनके पास अपने भवन की उपलब्धता एवं पौधारोपण हेतु उपयुक्त स्थान हो। ऐसे आगनवाड़ी केंद्र पर पौधारोपण हेतु प्रति केंद्र 100 रू० निर्धारित है।

6. ज़िला स्तरीय (द्वितीय सप्ताह) एवं प्रखण्ड स्तरीय (पहला सप्ताह) अभिसरण बैठक

सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह (1-7 सितम्बर) में प्रखंड/परियोजना स्तरीय अभिसरण कार्य योजना की आभासी बैठक (CAP meetıng) का आयोजन अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाना है। इस बैठक में प्रखंड समन्यव समीति के द्वारा प्रखंड स्तरीय Actıon Plan पर भी समीक्षा की जाए।

जिला स्तरीय Convergence Actıon Plan की आभासी बैठक जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में सितम्बर माह के द्वितीय सप्ताह (8-13 सितम्बर) में किया जाएगा। इस बैठक में सभी नामित पदाधिकारी भाग लेगे। इस बैठक में प्रखंड समन्वय समीति के द्वारा प्रेषित प्रखंड स्तरीय Actıon Plan पर भी समीक्षा की जायेगी।

ज़िला / परियोजना स्तरीय CAP बैठक की विवरणी एवं अनुमोदित Action Plan E-Governance डैशबोर्ड पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेगे एवं बैठक की कार्यवाही पंजी nnm.spmubıh@gmaıl.com पर E-maıl करना सुनिश्चित किया जाए।

बजटीय प्रावधान: जिला स्तरीय प्रत्येक बैठक हेतु अधिकतम रू. 2000/- एवं परियोजना स्तरीय प्रति बैठक हेतु अधिकतम रू.1000/- व्यय किया जाना है।

7. सभी प्रकार के लाभार्थियों का समेकित whatsapp समूह बनाना

- आगनवाड़ी सेविका द्वारा वर्तमान सर्वेक्षण को आधार मानते हुए अपने पोषक क्षेत्र की सभी श्रेणियों के लाभार्थियों यथा किशोरी, गर्भवती, धात्री माता, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों (जिनके पास whatsapp app सेवा उपलब्ध हो) का एक सम्मलित whatsapp group का समूह का निर्माण करे।
- इस समूह में सेविका द्वारा अपने क्षेत्र की महिला पर्यवेक्षिका को भी जोड़ा जाये।
- इस whatsapp समूह पर महिला पर्यवेक्षिका एवं सेविका द्वारा भ्रमण के दौरान बताईगए संदेशों को याद रखने में मदद करने के लिए परिवारों को संबंधित वीडियो भेजे जा सकेंगे।
- लाभार्थियों को प्रेरित करे कि वे महिला पर्यवेक्षिका अथवा सेविका द्वारा जो भी उपयोगी सन्देश पातें है उन्हें अपने परिचितों / रिश्तेदारों के साथ भी साझा करे।
- लाभार्थियों को प्रेरित करे कि स्वास्थ्य, पोषण एवं बच्चे की देखभाल से सबंधित किसी प्रकार की दुविधा होने पर वे अपने प्रश्न भी इस whatsapp समूह पर लिख कर पूछ सकते है।
- आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य, पोषण एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख सम्बन्धी विडियो / ऑडियोके लिए निम्नलिखित वेबसाईट का उपयोग किया जाए:
  - पोषण के विडियोज डाउनलोड करने हेतु : Youtube Channel- Poshan Abhıyaan Bıhar https://www.youtube.com/channel/UCa1EtTcCwqz_0OPpsktzJ7Q

- ECCE गतिविधियों के विडियोज डाउनलोड करने हेतु : Youtube Channel- ECCE Bihar
  https://www.youtube.com/channel/UCkJ8QaLN64BffzH2JVDv4gw ,
  विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध Google drive link
  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sYwQkCiRIQk5dNbY4gXp_ISKMQ9eUZqy

पोषण माह हेतु चिन्हित विशेष सप्ताहों की गतिविधियाँ

7. जननी सेवा सप्ताह (प्रथम सप्ताह)

7.1 गृह भ्रमण :
मुख्य लाभार्थी :गर्भवती महिला, उनके पति एवं परिवार के सदस्य
सामग्री: फ्लिपबुक, ILA-3 एवं 20 का टेकअवे
प्रमुख परामर्श विषय

- प्रसव पूर्व देखभाल के लिए जानकारी।
- नियमानुसार आयरन फोलिक एसिड (IFA), कैल्शियम,तथा कृमिनाशक गोली लेने हेतु परामर्श।
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में उपयुक्त लाभार्थियों का पंजीकरण की जानकारी।
- गोदभराई गतिविधि के अन्तर्गत दी गई सेवाए व परामर्शो का अनुशरण।
- व्यक्तिगत स्वछता/हाथों की सफाई, खान-पान, आहार-विविधिता, विभिन्न खाद्य समूहों पर परामर्श।
- गृह भेंट के दौरान गर्भवती महिलाओं का वजन कर रिकॉड किया जाए। जिन गर्भवती महिलाओं के वजन में अपेक्षित वृद्धि न हो रही हो, उन्हें VHSND में उतरोतर सेवाओं और परामर्श के लिए आने का परामर्श।

7.2 समुदाय आधारित गतिविधि (गोदभराई दिवस- 7 सितम्बर, 2020)

मुख्य लाभार्थी : प्रथम तिमाही वाली गर्भवती महिला, उनके पति एवं परिवार के सदस्य
सामग्री: गोदभराई दिवस आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देश (निदेशालय द्वारा निर्गत पत्रांक 5783 दिनांक 14.12.2018), फ्लिपबुक, ILA-3 का टेकअवे
आयोजन हेतु मुख्य बिंदु

- गृह भ्रमण के दौरान ही लक्षित लाभार्थी का पूर्व से नियोजित दिन में लाभार्थी के परिवार के सदस्यों के सहयोग से गोदभराई गतिविधि का आयोजन करे।
- दैनिक गृह भ्रमण के अर्न्तगत अनुशंसित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए गतिविधि का आयोजन किया जाए।
- लक्षित लाभार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को गतिविधि हेतु पूर्व से सूचना दिया जाना व गतिविधि की तैयारी हेतु आवश्यक सहयोग हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।
- लक्षित लाभार्थी को गोदभराई दिवस आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देश के अनुसार दिये जाने वाले भेट के अतिरिक्त स्वच्छता किट जैसे- मास्क, साबुन/ हैण्डवाश/ सेनेटाईजर, तौलिया, दस्ताना आदि दिया जाना चाहिए।
- लाभार्थी को दिये जाने वाले उपहार की व्यवस्था संभव हो तो लाभार्थी के परिजन से करावें एवं लाभार्थी को दिये जाने वाले उपहार भेट की सामग्री को सेनेटाईज कर भेट किया जाए।

बजटीय प्रावधान: गोदभराई दिवस में किये जाने वाले खर्च (अधिकतम 250 रू.) में से लाभार्थी को दिए जाने वाले उपहार के अतिरिक्त लाभार्थी के लिए स्वच्छता किट का व्यय किया जाए।

8. घर-घर आंगनवाड़ी सह ECCE सप्ताह (द्वितीय सप्ताह)

8.1 गृह भ्रमण :

मुख्य लाभार्थी: 3-6 वर्ष के बच्चें एवं उनके परिवार के सदस्य

सामग्री: ILA-13 का टेकअवे, ECCE कैलेंडर, ECCE विडियो, कहानी एवं बालगीत की वीडियोस, नई पहल' पाठ्यक्रम 1-2-3, घर में उपलब्ध सामग्री व स्थानीय वस्तु जैसे बर्तन, पत्ता,फूल तिनका, मिट्टी इत्यादि

प्रमुख परामर्श विषय

- तीन से छह साल के बच्चों की माताओं अथवा देखभालकर्ताओं की निगरानी में दैनिक भ्रमण के अंतर्गत अनुशंसित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गतिविधि का प्रदर्शन एवं माताओं अथवा पालनकर्ता द्वारा गतिविधि किये जाने हेतु प्रेरित करना।
- तीन से छ: साल के बच्चों का वजन रिकॉड किया जाना।
- आंगनवाड़ी सेविका गृह भ्रमण के दौरान माता-पिता,बच्चों एवं देखभालकर्ताओं के साथ ECCE की गतिविधियों को ECCE कैलेंडर(पत्र संख्या 2437 दिनांक 14.05.20) के आलोक में किया जाए।
- गृह भ्रमण के दौरान बच्चों को उनके पसंद की कहानी सुनाने के लिए मोबाइल नंबर 08033094243 पर मिस्ड कॉल करने के लिए माता-पिता एवं देखभालकर्ताओं को प्रेरित किया जाए।
- ICDS निदेशालय के द्वारा ECCE गतिविधियों को कराने हेतु ECCE से सम्बंधित विडियो, बालगीत, कहानियों का लिंक जिन्हें विभाग के वेबसाइट एवं www.icdsbih.gov.in पर गूगल ड्राइव के माध्यम से शेयर किया गया है, उपयोग किया जाए।
- गृह भ्रमण के दौरान, राज्य स्तर से WhatsApp एवं telegram के माध्यम से भेजे जा रहें विडियो एवं गतिविधियों की चर्चा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता किया जाए।
- बौद्धिक विकास एवं शारीरिक विकास हेतु माता पिता का बच्चों के प्रति उत्तरदायी व्यवहार (responsive parenting) के द्वारा घर में उपलब्ध वस्तुओं एवं ICDS निदेशालय के वेबसाइट पर उपलब्ध ECCE विडियो से गतिविधि करवाएँ।
- बच्चों व बच्चों की माताओं अथवा देखभालकर्ताओं को व्यक्तिगत स्वच्छता/हाथों की सफाई, खान-पान, आहार विविधता खाद्य समूह पर परामर्श दिया जाए।

8.2 सजग कार्यक्रम (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह)

राज्य के दो ज़िलों यथा पूर्णिया एवं गया में संचालित 'सजग' कार्यक्रम का पूरे राज्य में क्रियान्वयन। राज्य स्तर से WhatsApp एवं telegram के माध्यम से सम्बंधित विडियो साझा किये जायेंगे। इन विडियोज को आंगनवाड़ी सेविका अपने गृह भ्रमण के दौरान माता-पिता से चर्चा करेंगी।

8.3 6-8 कक्षा के विद्यार्थियों एवं जनसमुदाय के लिए ऑनलाइन प्रश्नोतरी प्रतियोगिता (ECCE / पोषण) (चतुर्थ एवं पाँचवा सप्ताह)

राज्य स्तर से ऑनलाइन प्रश्नोतरी प्रतियोगिता कक्षा 6-8 के बच्चों एवं जनसमुदाय के लिए आयोजित किया जाना है, जिसका लिंक ICDS निदेशालय के माध्यम से सभी पदाधिकारी के साथ साझा किया जायेगा।

8.4 3-6 वर्ष के केंद्र पर पंजीकृत बच्चों के साथ चित्रांकन प्रतियोगिता संचालन (चतुर्थ एवं पाँचवा सप्ताह)

राज्य स्तर से ऑनलाइन चित्रकारिता प्रतियोगिता, 3-6 वर्ष के आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों एवं आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र के 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए आयोजित किया जाना है। बच्चों के द्वारा बनाये गए पेंटिंग को आंगनवाड़ी सेविका / माता-पिता, ICDS निदेशालय द्वारा प्रदत्त लिंक या Whats App नंबर पर upload करेंगी। पेंटिंग को अपलोड करने हेतु लिंक ICDS निदेशालय के माध्यम से सभी पदाधिकारीयों के साथ साझा किया जायेगा।

9. शिशु देखभाल सप्ताह (तीसरा, चौथा एवं पाँचवा सप्ताह)

9.1 गृह भ्रमण :

मुख्य लाभार्थी: 0-3 वर्ष के सभी बच्चों की माता एवं परिवार के सदस्य

सामग्री: फ्लिपबुक, ILA- 8, 9, 13 एवं 17 का टेकअवे

प्रमुख परामर्श विषय:

- 0-6 माह के बच्चों की माताओं को 'सिर्फ स्तनपान' कराने के लिए परामर्श।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में सभी कन्या शिशुओं का पंजीकरण कराने हेतु जानकारी।
- प्रत्येक बच्चें का वजन रिकॉर्ड संधारण एवं उपयुक्त परामर्श।
- गंभीर दुबलापन के प्रबंधन पर परामर्श / आवश्यक रेफेरल।
- बीमार बच्चों को अतिरिक्त भोजन एवं पोषण देने हेतु परामर्श।
- प्रत्येक बच्चें का वजन रिकॉर्ड संधारण एवं उपयुक्त परामर्श।
- व्यक्तिगत स्वछता/हाथों की सफाई खान-पान, आहार- विविधिता, विभिन्न खाद्य समूहों पर परामर्श।

9.2 समुदाय आधारित गतिविधि (अन्नप्राशन दिवस- 19 सितम्बर, 2020)

मुख्य लाभार्थी: अन्नप्राशन के लिए 180 दिन पूर्ण कर चुके बच्चे एवं परिवार के सदस्य।
सामग्री: अन्नप्राशन दिवस आयोजन के दिशा-निर्देश (निदेशालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-2924 दिनांक-11.07.2018), फ्लिपबूक, ILA-3, 4, 6, एवं 9 का टेकअवे,
प्रमुख परामर्श विषय

- गृह भ्रमण के दौरान ही लक्षित शिशु का पूर्व से नियोजित 19वीं तारीख को शिशु के परिवार के सदस्यों के सहयोग से ही अन्नप्राशन दिवस गतिविधि का आयोजन करे।
- दैनिक गृह भ्रमण के अन्तर्गत अनुशंसित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए गतिविधि का आयोजन किया जाए।
- लक्षित लाभार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को गतिविधि हेतु पूर्व से सूचना दिया जाना व गतिविधि की तैयारी हेतु आवष्यक सहयोग हेतु प्रेरित किया जाए।
- लक्षित लाभार्थी को अन्नप्राषन दिवस आयोजन सम्बन्धी दिशा.निर्देश के अनुसार दिये जाने वाले भेट(कटोरी चम्मच) के अतिरिक्त स्वच्छता किट जैसे-मास्क, साबुन/ हैण्डवॉश/ सेनेटाईजर, तौलिया, दस्ताना आदि दिया जाए।
- लाभार्थी को दिये जाने वाले उपहार की व्यवस्था संभव हो तो लाभार्थी के परिजन से किया जाए एवं लाभार्थी को दिये जाने वाले उपहार की सामग्री को सेनेटाईज कर भेट किया जाए।
- बच्चे के अन्नप्राशन कराये जाने हेतु खाद्य सामग्री यथा-खीर, हलवा, खिचड़ी, दलिया आदि की व्यवस्था परिवार द्वारा ही किया जाए।
- 7-9 माह के बच्चे की माताओं को बच्चों को उपरी आहार देने हेतु परामर्श

9.3 समुदाय आधारित गतिविधि सम्बन्धी अन्य सामान्य दिशा-निर्देश

- पूर्व सूचित करने के लिए पहले से ही फ़ोन करे ताकि विशेष दिवस का ससमय सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके।
- आयोजन के लिए उपयुक्त समय / व्यवस्थाओं के लिए परिवार के साथ विचार विमर्श करे।

- आवश्यक वस्तुओं को तैयार करने के लिए लाभुकों के परिवार का मार्गदर्शन करे जैसे अन्नप्राशन के लिए उपरी आहार, चम्मच, कटोरा इत्यादि की व्यवस्था तथा गोदभराई के लिए खाने की चीजों से सजी थाली इत्यादि की व्यवस्था में परिवार का सहयोग लिया जाये।
- नियत दिन एवं समय पर लक्षित परिवार के घर गृह भ्रमण करे तथा परिवार के पुरुष सदस्यों (अधिकतम 5-6 लोग) को भी आमंत्रित करे।
- परिवार में उस स्थान का चयन करे जहाँ अधिकतम 5-6 लोगों को समायोजित करने के लिए उपयुक्त हो, जिससे शारीरिक दूरी का पालन किया जा सके।
- गतिविधि में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों (लाभार्थी एवं उनके परिवार के सदस्यों) और कार्यकर्ताओं (सेविका, सहायिका, आशा)को चेहरे पर मास्क आवश्यक रूप से पहने और कार्यक्रम में आने पर पहले साबुन पानी से हाथ धुलवायें एवं सेनेटाईजर से हाथ व उपयोग किये जाने वाले सामग्री को सेनेटाईज करे।
- गतिविधि के दौरान पूर्व से पालन किये जा रही प्रक्रिया को ही क्रियान्वित करे, उदाहरण के लिए शिशु को घर में बने उपरी आहार को खिलाने एवं खाद्य पदार्थों से अन्नप्राशन के लिए तैयार उपरी आहार का प्रदर्शन हेतु परिवार के सदस्यों का सहयोग लिया जाए।
- तत्पश्चात आयोजित विशेष दिवस यथा अन्नप्राशन अथवा गोदभराई एवं COVıD-19 के संदर्भ में पिता, सास और मां को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करे। माता.पिता और परिवार के सदस्यों से उन्हें बताई गई सलाह को दोहराने के लिए कहें।
- परामर्श के लिए ıCDS-CAS के वीडियो एवं ऑडियो का भी उपयोग कर सकतें है।

बजटीय प्रावधान: अन्नप्राशन दिवस में किये जाने वाले खर्च (अधिकतम 250 रू.) में से लाभार्थी को दिए जाने वाले कटोरी- चम्मच के अतिरिक्त लाभार्थी के लिए स्वच्छता किट का व्यय किया जाए।
नोट: पोषण माह के उपरांत भी समुदाय आधारित गतिविधि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अलोक में क्रियान्वित किया जाए।

9.4 वृद्धि निगरानी सम्बन्धी दिशानिर्देश

- प्रत्येक लाभार्थी (गर्भवती महिला एवं 6 वर्ष तक के शिशु) का सिर्फ वजन लिया जाए।
- सेविका द्वारा किये जाने वाले गृह-भ्रमण के दौरान ही लाभार्थियों की वृद्धि निगरानी की जाए।
- COVıD-19 रोकथाम वाले प्रतिबंधित क्षेत्रों में, तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवारों अथवा जिन बच्चों के माता-पिता ने बच्चे के पोषण की स्थिति बिगड़ने की शिकायत की हो अथवा जन्म के समय कम वज़न वाले नवजात बच्चे जिन्हें स्तनपान करने में दिक्कत हो रही हो उन्हें वृद्धि निगरानी के लिए प्राथमिकता दें।
- पोषण स्थिति का आकलन करते समय कार्यकर्त्ता अपने चहरे को मास्क से ढक कर रखे और दस्तानो का प्रयोग करे।
- माप लेने से पहले अभिभावक को माप लेने का उद्देश्य बताएं, साथ ही माप लेने के तरीके के बारे में जानकारी दे जिससे वो आपको आवश्यक सहयोग प्रदान कर सके।
- शारीरिक माप लेते समय बच्चे को कम-से-कम स्पर्श करे और कपडे खोलने हेतु अभिभावकों की सहायता ले।
- वजन लेने की प्रक्रिया में शामिल अभिभावक को पहले अपने हाथों को साबुन-पानी से आवश्यक रूप से धुलवाएँ।
- बच्चे का वजन लेते समय, बच्चे को हलके कपडे पहने हुए होना चाहिए, अतएव वजन बंद और सुरक्षित स्थान पर ले।
- वजन मापने के लिए साल्टर स्केल का प्रयोग न करे, डिजिटल व्यस्क वजन मशीन का ही प्रयोग करे।

- हर बार वजन मशीन पर खड़े होने से पहले, मशीन के प्लेटफ़ॉर्म को कीटाणुनाशक घोल से विसंक्रमित करे।
- गृह भ्रमण में आवश्कतानुसार सहायिका का सहयोग लें।
- वजन निगरानी द्वारा पहचान किये गए गंभीर एवं मध्यम अल्पवज़न को आगामी VHSND सत्र में निश्चित रूप से बुलाएँ ताकि उन्हें समुचित चिकित्सा हेतु घरेलू देखभाल, स्वास्थ्य केंद्र अथवा पोषण पुनर्वास केंद्र के लिए ए.एन.एम. द्वारा रेफ़र किया जा सके।
- जिन बच्चों को गंभीर एवं मध्यम अल्पवजन श्रेणी में चिन्हित किया जायेगा, उनके परिवार को लाल रंग का एक कार्ड (सेविका द्वारा स्थानीय व्यवस्था कर) दिया जाए ताकि आगामी VHSND सत्रों में उस कार्ड के आधार पर बच्चें का प्राथमिकता के आधार पर आंकलन किया जा सके।
- वजन निगरानी द्वारा पहचान किये गए वैसे सामान्य वजन श्रेणी के बच्चों, जिनका पिछले कुछ समय से वजन वृद्धि काफी कम हो रही हो, उनके अभिभावकों को भी ज़रूरी परामर्श दें।

नोट: **1. पोषण माह के उपरांत भी वृद्धि निगरानी उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में क्रियान्वित किया जाए।**

2. जैसा कि आप अवगत हैं कि वृद्धि निगरानी, गृह भ्रमण एवं ICDS-CAS Application में केन्द्र की खुलने के आधार पर सेविका एवं सहायिका को प्रतिमाह क्रमश: रू. 500/- एवं रू. 250/- प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

अत: उक्त विवरणी ICDS-CAS Application में भी अपलोड किया जाना आवश्यक है।

11. कोविड – 19 के संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपाय

आंगनवाड़ी सेविका द्वारा गृह भ्रमण के दौरान ही सुरक्षात्मक उपायों को निश्चित रूप से अपनाते हुए, लाभार्थियों को उनके घर पर जाकर सेवाएं प्रदान की जाए:

- सेविका / सहायिका अथवा किसी अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता द्वारा स्वयं के लिए व्यक्तिगत व लाभार्थी की सुरक्षा हेतु मास्क, दस्ताने इत्यादि का निश्चित रूप से प्रयोग किया जाए।
- हाथ तथा समुदाय में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों और सतहों को कीटाणुरहित रखने के लिए साबुन-पानी/हैंड वाश एवं सेनिटाइजर और कीटाणुनाशक घोल की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।
- सेवाओं को देने के दौरान पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए उचित स्थान का चयन अथवा गोला बनाकर ही गतिविधि करे।
- गृहभ्रमण के दौरान भीड़-भाड़ से बचने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को अलग-अलग समय अंतराल पर सेवा प्रदान किया जाए।
- लक्षित लाभार्थियों की सूची तैयार करते समय, प्रवासी परिवारों के लाभार्थियों को भी सेवा प्रदान करने हेतु प्रावधान को सुनिश्चित किया जाए।
- COVID-19 रोकथाम वाले प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिहार सरकार द्वारा निदेशित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए गतिविधि को किया जाए, संभव हो तो वीडियो या टेलीफोन कॉल के माध्यम से लाभार्थी की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ एवं परामर्श दिया जाए। इसके आधार पर आवश्यकता का आकलन कर गृह-भ्रमण को प्राथमिकता दी जाए।
- तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवारों में अथवा जहां माता-पिता बच्चे के पोषण की स्थिति बिगड़ने की शिकायत कर रहे हैं, प्राथमिकता के आधार पर घर का दौरा किया जाए।
- 3-6 वर्ष के बच्चों के साथ सेविका ECCE कलेंडर के माध्यम से गतिविधि कराएँ।
- आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ता को मानक स्वच्छता नियम का अभ्यास करते हुए गृह-भ्रमण के दौरान हर लाभार्थी के साथ बातचीत करने से पहले और बाद

में 20 सेकंड के लिए साबुन-पानी से हाथ धोना या अल्कोहल-आधारित सैनिटाइज़र से हाथों को साफ किया जाए।

- इसके लिए यह आवश्यक है कि गृह-भ्रमण के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता के पास साबुन / सैनिटाइजर उपलब्ध हो।
- सेविका से परामर्श प्राप्त करने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला या देखभालकर्ता को बातचीत प्रारंभ करने से पहले अपने हाथों को साबुन-पानी से धोने के लिए कहा जाए। बातचीत के दौरान कार्यकर्ता द्वारा निश्चित भौतिक दूरी सदैव बनाए रखें व मास्क का उपयोग की जाए।
- आंगनवाड़ी सेविका (यथा संभंव आशा कार्यकर्ता के साथ सम्मलित रूप से) द्वारा प्रासंगिक सप्ताह अनुसार लाभार्थीयों के घर उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए गृह भेंट किया जाए।गृह भेंट के दौरान प्रासंगिक सप्ताह अनुसार मुख्य कार्यों एवं परामर्शो का अनुशरण किया जाए।

बजटीय प्रावधान: सेविका एवं सहायिका के स्वच्छता किट (साबुन, मास्क, हैण्डवाश, दस्ताना, कीटाणुनाशक घोल के सामग्री हेतु अधिकतम 150 रु. निर्धारित है।

नोट: पोषण माह के उपरांत भी गृह भ्रमण उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अलोक में क्रियान्वित किया जाए।

अनुश्रवन सह सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (Supportive Supervision)

उपरोक्त गतिविधियों के गुणवत्तापूर्वक संचालन हेतु जिला परियोजना स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा गतिविधियों का लगातार अनुश्रवण किया जाना है। साथ ही जिला समन्वयक/ जिला परियोजना सहायक/ स्वस्थ भारत प्रेरक इत्यादि विकास सहभागियों के माध्यम से भी लगातार अनुश्रवण कराया जाना है।

निदेशालय के पत्रांक 5444 दिनांक 07/12/2018 के आलोक में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा प्रति माह वांछित प्रपत्र में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर Governance Dashboard एवं ICDS-CAS Application के L.S Application पर प्रतिवेदन अपलोड किया जाना है । पोषण माह के दौरान प्रतिदिन निर्धारित पर्यवेक्षण अवश्य रूप से करते हुए प्रतिवेदन जन- आंदोलन डैस बोर्ड एवं Governance Dashboard पर अपलोड करेगे। उक्त पर्यवेक्षण पर DL। निर्धारित है।

प्रत्येक गतिविधि के आयोजन के उपरांत उससे संबंधित प्रतिवेदन https://poshanabhıyaan.gov.ın डैश बोर्ड के साथ ही ICDS-CAS Application पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।आंगनवाड़ी केन्द्र एवं परियोजना स्तर पर की गई गतिविधि का प्रतिवेदन प्रोजेक्ट डैश बोर्ड एवं जिला स्तर पर की गई गतिविधि का प्रतिवेदन जिला डैश बोर्ड पर अ12 पलोड किया जाना है। डैश बोर्ड से संबंधित विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के स्वस्थ भारत प्रेरक/जिला समन्वयक/जिला परियोजना सहायक से सम्पर्क करेगे।

उपरोक्त सभी गतिविधि हेतु राशि विज्ञापन एवं प्रकाशन मद से किया जाए।

कीटाणुनाशक घोल तैयार करने की विधि

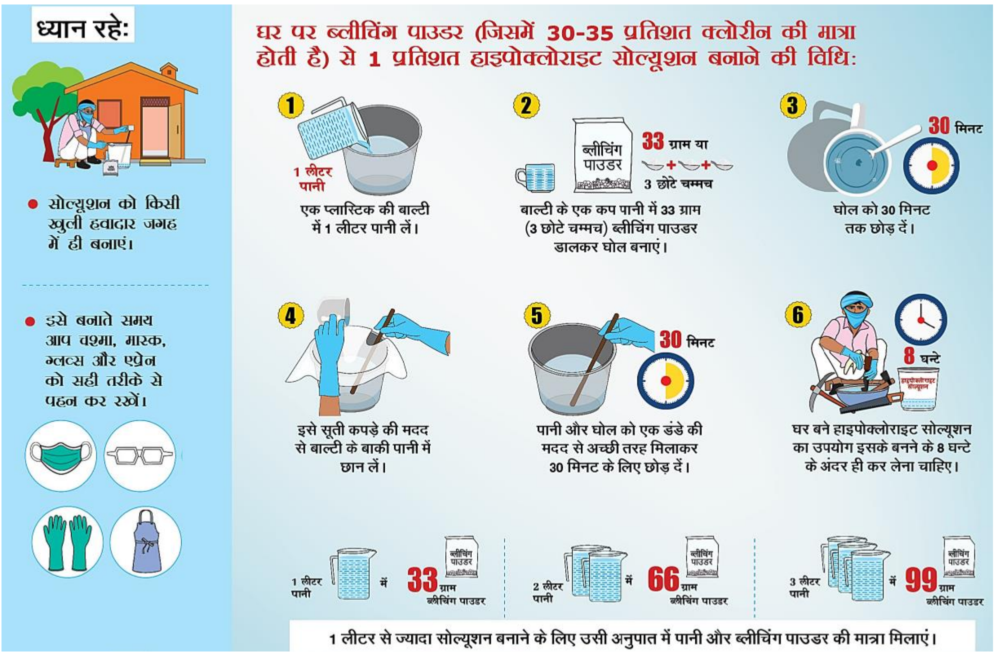

मनोज कुमार, भा.प्र.से.
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः SHSB/MCH/167/2011/...3847...........

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांकः 01/09/2020

विषयः पोषण अभियान अंतर्गत पोषण माह (01–30 सितंबर, 2020) में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले गतिविधियों के संबंध में।

महाशय / महाशया,

अवगत हैं कि सरकार वर्ष 2022 तक देश में कुपोषण की दर में सुधार लाने हेतु कृत संकल्पित है । इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा POSHAN (Prime Minister Overarching Scheme for Holistic Nurishment) का प्रारंभ किया गया है। पिछले वर्ष की भाँति दिनांक 01–30 सितंबर, 2020 तक पोषण माह का आयोजन किया जाना है।

2. इस कार्यक्रम के तहत निम्नांकित गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाना है–

(क) अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन
(ख) स्तनपान का बढ़ावा
(ग) गृह आधारित नवजात की देखभाल
(घ) सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा
(ड.) राष्ट्रीय कृमिमुक्ति कार्यक्रम
(च) विटामिन–ए खुराक अभियान
(छ) IFA Supplementaion/AMB
(ज) Immunization Covering unreached population.
(झ) Village Health Sanitation and Nutrition Days (VHSNDs)

3. उपर्युक्त गतिविधियों से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना निम्नवत् है–

(क) अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन– अतिगंभीर कुपोषित बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में 9 से 11 गुणा मृत्यु का खतरा अधिक होता है तथा पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की लगभ 45 प्रतिशत मृत्यु में अति गंभीर कुपोषण एक अंतर्निहित कारक होता है। पोषण माह 2020 के अंतर्गत सभी अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, रेफरल एवं प्रबंधन का लक्ष्य रखा गया है।

<u>समुदाय स्तर पर गतिविधियाँ–</u>

a. समुदाय स्तर पर आशा द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय स्थापित कर लंबाई / उँचाई के अनुसार –3SD से कम वजन वाले बच्चों की लाइनलिस्ट तैयार कर VHSND Site पर ए.एन.एम. से जाँच करवाना / स्वास्थ्य केन्द्र पर जाँच करवाना सुनिश्चित किया जाये।

b. आशा द्वारा बीमार, सुस्त, दिखाई देने वाले दुबलेपन, स्तनपान / भूख में कमी, दोनों पैरों में सूजन वाले बच्चों का भी लाइनलिस्ट तैयार कर VHSND Site पर ए.एन.एम. से जाँच करवाना / स्वास्थ्य केन्द्र पर जाँच करवाना सुनिश्चित किया जाये।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाषः 0612–2290328, फैक्सः 0612–2290322, वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

c. उक्त बच्चों में साँस का तेज चलना, छाती का धँसना, फरका आना, लगातार उल्टी/दस्त होना इत्यादि लक्षण पाये जाने पर आशा द्वारा उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/पोषण पुनर्वास केन्द्र पर रेफर किया जाये।

d. ए.एन.एम. VHSND Site आरोग्य दिवस के दिन आशा/आँगनवाड़ी द्वारा चिन्हित सभी बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य की जाँच सुनिश्चित करेगी।

e. ए.एन.एम. द्वारा लँबाई/उँचाई के अनुसार -3SD के कम वजन वाले या MUAC Tape द्वारा मापने पर उपरी बाँह की गोलाई 11.5 cm से कम होने वाले तथा चिकित्सकीय जटिलता (चमकी आना, दोनो पैरों में सूजन, साँस तेज चलना, छाती का ढसना, लगातार उल्टी दस्त होना, तेज बुखार या शरीर का ठंढा पड़ना, भूख में कमी, खुन की कमी होना, त्वचा पर घाव, विटामिन ए की कमी से आँख में होने वाली बिमारियाँ) वाले बच्चों को पोषण पुर्नवास केन्द्र पर रेफर करना सुनिश्चित किया जाये और **संलग्न** प्रपत्र में सूची का संधारण किया जाये।

f. वैसे अतिगंभीर कुपोषित बच्चे (–3SD से कम वजन वाले) जिन्हें चिकित्सकीय जटिलता नहीं है तथा भूख अच्छी है एवं मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों –Moderately Acute Malnurished-MAM (लंबाई/उँचाई के अनुसार वजन -2SD से -3SD तक) की माताओं को ए.एन.एम., एम. सी.पी कार्ड में पोषण संबंधी दिये गये परामर्श देना सुनिश्चित करें। इन बच्चों के माता–पिता/अभिभावक को नियमित आइ.ए.एफ अनुपूरण, छः माही विटामिन–ए सिरप एवं अल्बेण्डाजोल टैबलेट खुराक के बारे में परामर्श दिया जाये।

स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर गतिविधियाँ–

a. स्वास्थ्य संस्थानों के OPD/IPD अथवा टीकाकरण हेतु आये 0 से 5 वर्ष तक के दिखाई देने वाले दुबलेपन (Severe Muscle wasting) अथवा आशा/आँगनवाड़ी/ए.एन.एम द्वारा रेफर किये गये कुपोषित बच्चों की लंबाई/उँचाई के अनुपात में वजन का आकलन सुनिश्चित किया जाये। WHO संदर्भ सारणी (एम.सी.पी कार्ड–ग्रोथ चार्ट) के अनुसार -3SD से कम वजन वाले बच्चों में खतरे के लक्षण (चमकी आना, दोनो पैरों में सूजन, साँस तेज चलना, छाती का ढसना, लगातार उल्टी दस्त होना, तेज बुखार या शरीर का ठंढा पड़ना, भूख में कमी, खुन की कमी होना, त्वचा पर घाव, विटामिन ए की कमी से आँख में होने वाली बिमारियाँ) को पोषण पुर्नवास केन्द्र पर उपचार हेतु रेफर करना सुनिश्चित किया जाये।

b. स्वास्थ्य संस्थान में आने वाले वैसे अतिगंभीर कुपोषित बच्चे (–3SD से कम वजन वाले) जिन्हें चिकित्सकीय जटिलता नहीं है तथा भूख अच्छी है एवं मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों –Moderately Acute Malnurished-MAM (लंबाई/उँचाई के अनुसार वजन -2SD से -3SD तक) की माताओं को ए.एन.एम, एम.सी.पी कार्ड में पोषण संबंधी दिये गये परामर्श देना सुनिश्चित करें। इन बच्चों के माता–पिता/अभिभावक को नियमित आइ.ए.एफ अनुपूरण, छः माही विटामिन–ए सिरप एवं अल्बेण्डाजोल टैबलेट खुराक के बारे में चिकित्सा पदाधिकारी/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम./RMNCHA Counsellor द्वारा परामर्श देना सुनिश्चित किया जाये।

c. पोषण स्तर के आँकलन हेतु स्वास्थ्य संस्थानों पर Digital Weighing Machine, Infantometer, Statdiometer, MUAC Tape, MCP Card की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये।

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर गतिविधियाँ– सभी पोषण पुर्नवास केन्द्र क्रियाशील रहेंगे तथा Covid-19 Protection Protocol अपनाते हुए चिकित्सकीय जटिलतायुक्त अतिगंभीर कुपोषित बच्चों का गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जाये। उपचार के उपरांत डिस्चार्ज हुये बच्चों का दूरभाष के माध्यम से फॉलो–अप कार्य नवनियुक्त सी.बी.सी.ई से करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं डिस्चार्ज

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

हुये बच्चों की सूचना संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सी.डी.पी.ओ., आशा फैसिलिटेटर एवं आशा को उपलब्ध कराया जाये।

अतिगंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान एवं प्रबंधन संबंधी रिपोटिंग प्रणाली–

Heading	Indicator	Description
M-9 (Immunization)	**9.11** - Number of severely underweight children provided health check up (0-5 yrs)	वैसे कुल कुपोषित (SAM & MAM) बच्चों (0–5 वर्ष) की संख्या जिसका आरोग्य दिवस पर ए.एन.एम द्वारा स्वास्थ्य जाँच किया गया। इससे संबंधी आँकड़े ए.एन.एम द्वारा टैली शीट में संधारण किया गया है। उक्त टैली शीट का संकलित आँकड़े प्रखण्ड स्तर पर BMEO द्वारा HMIS (M-9) में प्रविष्टि किया जाना है।
M-10- [Number of cases of Childhood Diseases (0-5 years)]	**10.14** Childhood Diseases - Severe Acute Malnutrition (SAM)	आरोग्य दिवस पर ए.एन.एम द्वारा एवं स्वास्थ्य संस्थान पर चिन्हित किये गये अतिगंभीर कुपोषित बच्चों (SAM) की कुल संख्या का HMIS (M-10) में प्रविष्टि किया जाना है।

(ख) स्तनपान का बढ़ावा– संस्थागत एवं घर पर जन्म लेने वाले सभी नवजातों को जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान शुरू कराना सुनिश्चित किया जाये। संस्थान में स्वास्थ्य कर्मी तथा समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य कर्मी/आशा इस कार्य को सुनिश्चित करेंगे तथा प्रखण्ड स्तर पर BMEO द्वारा HMIS (4.4.3 No. of newborn Breastfed within one hour of birth) में प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाये। स्वास्थ्य संस्थानों में ANC एवं टीकाकरण के दौरान आने वाली गर्भवती एवं धात्री माताओं को गर्भावस्था के अनुसार तथा बच्चे के उम्र के अनुसार स्तनपान एवं पोषण संबंधी परामर्श दिया जाये।

समुदाय स्तर पर आशा IYCF/माँ कार्यक्रम अंतर्गत तीन माह से उपर के गर्भवती एवं धात्री माताओं को गृह भ्रमण के दौरान जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान शुरू कराना, छः माह तक सिर्फ स्तनपान कराना, छः माह पूर्ण होने पर पूरक आहार शुरू करने के साथ स्तनपान को कम–से कम दो वर्ष तक जारी रखने एवं इनके लाभ के बारे चर्चा करे। कोविड–19 को देखते हुए बैठक के स्थान पर एक–एक कर लाभार्थी से परिचर्चा करें एवं इनकी संख्या माँ कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध आशा हेतु मासिक प्रपत्र में उल्लेखित (सूचकांक **यथा** बैठक में भाग लेने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या एवं बैठक में भाग लेने वाली स्तनपान कराने वाली महिलाओं की कुल संख्या) कॉलम में भेंट एवं परिचर्चा की गयी कुल लाभार्थियों की संख्या अंकित किया जाये।

(ग) गृह आधारित नवजात की देखभाल – पोषण माह के दौरान आशा द्वारा Home Based newborn Care (HBNC) कार्यक्रम अंतर्गत अपने संबंधित क्षेत्र में शत–प्रतशत नवजात के घर का भ्रमण कर शिशु एवं माता की जाँच तथा पोषण संबंधी सलाह दिया जाये।

(घ) सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (ड.) राष्ट्रीय कृमिमुक्ति कार्यक्रम एवं (च) विटामिन–ए खुराक अभियान– दिनांक 16 से 29 सितंबर, 2020 तक होने वाले इन कार्यक्रमों के सफल के क्रियान्वयन से पूर्व आशा द्वारा गृह भ्रमण कर लाभार्थियों की सूची तैयार की जाये तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पूर्व प्रेषित पत्रांक 3420, दिनांक 14.08.2020, पत्रांक 3605, दिनांक 22.08.2020 एवं

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

पत्रांक 3620, .दिनांक 24.08.20 द्वारा दिये गये दिशा –निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर कार्यक्रम को सफल बनाये।

(छ) IFA Supplementaion/AMB- 6–59 माह तथा 5– 10 वर्ष के बच्चों, किशोर, किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के रोकथाम के लिए क्रमशः आइ.एफ.ए. सिरप, आइ.एफ.ए गुलाबी गोली, आइ. एफ.ए नीली गोली एवं आइ.एफ.ए. लाल गोली की उपलब्धता लाभार्थी तक सुनिश्चित किया जाये।

(ज) प्रतिरक्षण / Immunization Covering unreached population-

i. ड्यूलिस्ट अद्यतन करने एवं लाभार्थी को सत्र स्थल पर लाने हेतु हर संभव प्रयास कर शत–प्रतिशत प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना।

ii. एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता एवं सूचनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित करना

(झ) Village Health Sanitation and Nutrition Days (VHSNDs) नियमित टीकाकरण के साथ–साथ आशा, आँगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., स्व सहायता समूह, महिला मंडल, पंचायती राज के प्रतिनिधि कुपोषण, अनीमिया, स्वच्छता आदि विषयों पर चर्चा करना एवं ऐसे सत्रों की फोटो खिंचकर पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर http://poshanabiyan.gov.in/#/ पर अपलोड करना।

यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक आरोग्य दिवस पर स्वास्थ्य, पोषण, विकास एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाएँ एवं जानकारियाँ वंचित तथा उपेक्षित वर्ग के लोगों को अवश्य दी जाये एवं ऐसे प्रयासों (फोटो सहित) को प्रतिवेदित

4. **Reporting of the Poshan Maah 2020 -** पोषण अभियान डैशबोर्ड http://poshanbhiyaan.gov.in/#/ पर डाटा इंट्री मॉड्यूल एवं विडियो उपलब्ध हैं। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) के साथ समन्वय स्थापित कर पोषण माह में संपादित गतिविधियों की फोटो सहित रिर्पोटिंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेब साईट http://poshanbhiyaan.gov.in/#/ के Dashboard पर अपलोड (रात्रि 12 बजे से सुबर 5 बजे तक Data Entry हेतु अनुमति नहीं) करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 02.10.2020 को समय–रात्रि12 बजे से पूर्व तक पूर्ण कर लें। इस संबंध में पूर्व में भेजी गयी जिला एव प्रखण्डवार User ID तथा Password यथावत है। इस हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सलाहकार योजना सह M&E (SPMU-ICDS), श्री संतोष कुमार गुप्ता (मो० 9308423591) से संपर्क किया जा सकता है।

नोटः उक्त गतिविधि के दौरान कोविड–19 हेतु जारी किये गये प्रोटोकॉल या दिशा–निर्देश जैसे सामाजिक दूरी, मास्क, ग्लब्स इत्यादि से संबंधित दिशा निदेशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

अनुलग्नकः प्रपत्र (ए.एन.एम. द्वारा भरा जाने हेतु)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाषः 0612–2290328, फैक्सः 0612–2290322, वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

पत्रांक 3620, .दिनांक 24.08.20 द्वारा दिये गये दिशा –निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर कार्यक्रम को सफल बनाये।

(छ) **IFA Supplementaion/AMB-** 6–59 माह तथा 5– 10 वर्ष के बच्चों, किशोर, किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के रोकथाम के लिए क्रमशः आइ.एफ.ए. सिरप, आइ.एफ.ए गुलाबी गोली, आइ. एफ.ए नीली गोली एवं आइ.एफ.ए. लाल गोली की उपलब्धता लाभार्थी तक सुनिश्चित किया जाये।

(ज) **प्रतिरक्षण / Immunization Covering unreached population-**

i. ड्यूलिस्ट अद्यतन करने एवं लाभार्थी को सत्र स्थल पर लाने हेतु हर संभव प्रयास कर शत–प्रतिशत प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना।

ii. एम.सी.पी. कार्ड की उपलब्धता एवं सूचनाओं की प्रविष्टि सुनिश्चित करना

(झ) **Village Health Sanitation and Nutrition Days (VHSNDs)** नियमित टीकाकरण के साथ–साथ आशा, आँगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., स्व सहायता समूह, महिला मंडल, पंचायती राज के प्रतिनिधि कुपोषण, अनीमिया, स्वच्छता आदि विषयों पर चर्चा करना एवं ऐसे सत्रों की फोटो खिंचकर पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर http://poshanabiyan.gov.in/#/ पर अपलोड करना।

यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक आरोग्य दिवस पर स्वास्थ्य, पोषण, विकास एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाएँ एवं जानकारियाँ वंचित तथा उपेक्षित वर्ग के लोगों को अवश्य दी जाये एवं ऐसे प्रयासों (फोटो सहित) को प्रतिवेदित

4. **Reporting of the Poshan Maah 2020 -** पोषण अभियान डैशबोर्ड http://poshanbhiyaan.gov.in/#/ पर डाटा इंट्री मॉड्यूल एवं विडियो उपलब्ध हैं। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) के साथ समन्वय स्थापित कर पोषण माह में संपादित गतिविधियों की फोटो सहित रिर्पोटिंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेब साईट http://poshanbhiyaan.gov.in/#/ के Dashboard पर अपलोड (रात्रि 12 बजे से सुबर 5 बजे तक Data Entry हेतु अनुमति नहीं) करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 02.10.2020 को समय–रात्रि12 बजे से पूर्व तक पूर्ण कर लें। इस संबंध में पूर्व में भेजी गयी जिला एव प्रखण्डवार User ID तथा Password यथावत है। इस हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सलाहकार योजना सह M&E (SPMU-ICDS), श्री संतोष कुमार गुप्ता (मो० 9308423591) से संपर्क किया जा सकता है।

नोटः उक्त गतिविधि के दौरान कोविड–19 हेतु जारी किये गये प्रोटोकॉल या दिशा–निर्देश जैसे सामाजिक दूरी, मास्क, ग्लब्स इत्यादि से संबंधित दिशा निदेशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन

ह० / –

(मनोज कुमार)

अनुलग्नकः प्रपत्र (ए.एन.एम. द्वारा भरा जाने हेतु)

ज्ञापांक 3847 पटना, दिनांक 01/09/2020

प्रतिलिपिः

- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,

- निदेशक आई.सी.डी.एस. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रशासी पदाधिकारी/अपर निदेशक–सह–राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी/अपर निदेशक–सह– आर.बी.एस.के./राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, आशा, आर.के. एस.के., शिशु स्वास्थ्य, मातृत्व स्वास्थ्य,/राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक (NHM/NUHM) रा.स्वा.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य प्रतिनिधि– यूनिसेफ, केयर, पिरामल फाउन्डेशन, एवीडेंस एक्शन, अलाइव एण्ड थ्राइव, निपी को सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

अति- गंभीर कुपोषित बच्चो की स्वास्थ्य जाँच और रेफरल प्रपत्र

(आरोग्य दिवस के दिनANM द्वारा भरा जाना हैं) *

स्वास्थ्य उपकेन्द्र का नाम –

गाँव/ पंचायत का नाम

प्रखंड का नाम -

जिला का नाम -

आरोग्य दिवस की तिथि –

आंगनवाडी केंद्र संख्या -

क्रं सं	बच्चे का नाम	लिंग (स्त्री/पु०)	उम्र (माह में)	लम्बाई/ ऊंचाई (से.मी.)	वजन (कि. ग्रा.)	दोनों पैरो में गढ्ढे पड़ने वाली सूजन (हाँ/ नहीं)	उपरी बांह की मध्य गोलाई (से. मी.) *	पिता का नाम	पता	पोषण स्थिति (SAM/ MAM/ N) **	पोषण पुनर्वास केंद्र पर रेफर (हाँ / नहीं)	यदि हाँ , तो कारण (बीमारी का नाम/ भूख की स्थिति)	यदि नहीं, तो पोषण सलाह प्रदान की गई (हाँ/ नहीं)

*यदि ANM के पास MUAC मापने की टेप हैं.

**अतिगंभीर कुपोषण-SAM/मध्यम अतिगंभीर कुपोषण -MAM/ सामान्य-N

ANM का नाम
हस्ताक्षर

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम
हस्ताक्षर

आशा का नाम
हस्ताक्षर

Anita Karwal
Secretary
Government of India
School Education
Literacy
Shastri Bhawan,
New Delhi

सत्यमेव जयते

Ram Mohan Mishra
Secretary
Government of India
Ministry of Women &
Child Development
Shastri Bhawan,
New Delhi

No. PA/19/2018-CPMU-Part(2)

Dated : 2nd September, 2020

Dear Chief Secretary

As you are aware, POSHAN Abhiyaan (National Nutrition Mission) – PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment was launched by the Hon'ble Prime Minister on 8th March, 2018. The programme strives to reduce the level of stunting, under-nutrition, low birth weight in children and anemia in adolescent girls, pregnant women, lactating mothers as well as children.

2. We are now celebrating ***Poshan Maah*** during the month of September, 2020 to further accelerate various activities under POSHAN Abhiyaan and to create a "Jan Aandolan" in the process by adhering COVID-19 protocols.

3. Identification and referral of SAM and MAM children (while adhering to COVID-19 protocols as mandated by administration from time to time), and plantation of Kitchen/ Nutri Gardens will be the major activities pursued during POSHAN Maah.

4. Children are not only the future citizens of India, they could be excellent ambassadors to motivate and counsel family members and Community for increasing their awareness about importance of good nutrition, balance diet as well as hygienic habits to be maintained during handling, cooking, eating and storing the food. Healthy dietary habits need to be inculcated at a young age. Therefore, special activities for children have been conceptualized in Poshan Maah 2020.

5. It is requested that all Schools in your State may be directed to organize a ***POSHAN Assembly*** with students in virtual mode to discuss malnutrition, its impact on Society and value of healthy and balanced diet. An essay competition and e-Quiz/e-competitions focusing on malnutrition/nutrition awareness may also be organized. Department of School Education, Government of India shall be circulating detail guidelines in this regard. Swayam Prabha channels of Ministry of Education will also telecast programmes on Poshan Abhiyan during Poshan Maah.

6. Your kind intervention shall be extremely helpful in engaging with young population of the Country with Poshan Maah, 2020, which is essential for its success.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Smt. Anita Karwal)
Secretary
School Education and Literacy

Yours sincerely,

(Ram Mohan Mishra)
Secretary
Women & Child Development

Chief Secretaries of States/UTs

सत्यमेव जयते

Sunil Kumar
Secretary
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Krishi Bhawan, New Delhi

Nagendra Nath Sinha
Secretary
Government of India
Ministry of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi

Ram Mohan Mishra
Secretary
Government of India
Ministry of Women & Child Development
Shastri Bhawan, New Delhi

D.O.No.PA/19/2018-CPMU (59211)

31st August, 2020

Dear Chief Secretary

We are writing to you to seek your personal intervention and support to address malnutrition amongst Children, pregnant women and lactating mothers in the country. As you are aware, POSHAN Abhiyaan (PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment) launched in 2018, strives to reduce the level of stunting, under-nutrition, low birth weight in children and anaemia in adolescent girls, pregnant women, lactating mothers as well as children. Leveraging technology and *Jan Andolan* are two of the main components of the Scheme.

2. ***Poshan Maah*** is celebrated during the month of September, 2020 to further accelerate various activities under POSHAN Abhiyaan and to create a "Jan Aandolan" through *Jan Bhagidari.* However COVID-19 protocols will have to be adhered during the period.

3. This year it has been decided to adopt a two-pronged strategy to address malnutrition. Under-nutrition being one of the leading causes of morbidity and mortality in children under the age of 5 years, early identification and referral of severe acute malnutrition is important for initiation of treatment and minimizing the risk of complications. Therefore, one of the objectives of Poshan Maah this year is to carry out a **drive for identification and referral of Severe Acute Malnourished (SAM) children**.

4. Developing **Kitchen/Nutri-gardens** in the Anganwadi premises, on Panchayat/Community/land in the Village is the other goal, which is equally important. We request you to promote plantation of individual and community Nutri Gardens as per the advisory of Ministry of Rural Development vide its Letter Number L-13060/03/2020-RE-VII dt. 04.05.20, under The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), in convergence with State Schemes and NRLM.

5 **POSHAN Panchayats** may also be organized during Poshan Maah to encourage local engagement in identification, management and resolution of nutrition related issues locally. The Village Health, Sanitation and Nutrition Committees or its equivalent in your State, as well as those at the Gram Panchayat / Panchayat Samiti / Zila Parishad must meet and discuss the specific reasons for malnutrition of the children residing within their respective jurisdictions and facilitate necessary community/social support mechanism for improvement in their health. They may be encouraged to map the malnourished children, develop a strategy to bring them back to normalcy and implement it with the help of local Anganwadis and Community support. Further they may also deliberate upon the scope for more production of pulses and oil seeds for bringing these to the plates of poor families. These special meetings at the level of Gram Panchayat, Block Panchayat & Zilla Panchayat may be held weekly to appreciate the problem, review the activities and prepare effective strategies during POSHAN Maah. Members of Parliament and Legislative Assemblies may also be engaged for spreading the messages of adequate and appropriate nutrition amongst public.

6. We would therefore, request you to kindly issue instructions to the District Magistrates/District Collectors, the CDOs/CEOs/ADCs to ensure the conduct of above activities in all tiers of Panchayats. Your personal supervision of the POSHAN Maah activities in the State will certainly help in achieving the intended *Jan Bhagidari* in addressing the concerns related to malnutrition.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Sunil Kumar)
Secretary, MoPR

Yours sincerely,

(Nagendra Nath Sinha)
Secretary, MoRD

Yours sincerely,

(Ram Mohan Mishra)
Secretary, WCD

Chief Secretaries of States/UTs

राम मोहन मिश्र
सचिव
RAM MOHAN MISHRA
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110 001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110 001
Website : http://www.wcd.nic.in

PA/123/2020-CPMU(e- 87504)

Dated 28th August, 2020

Dear Chief Secretary

The ***POSHAN Abhiyaan*** launched by Hon'ble Prime Minister aims to achieve improvement in status of nutrition of children and women. ***Jan Aandolan*** and community mobilization are essential components for effective implementation of ***POSHAN Abhiyaan***. In pursuance of this objective, Rashtriya Poshan Maah is celebrated in convergence with all stakeholders during the month of September since 2018.

2. To maintain the momentum and to capitalize on the gains of these events, third Rashtriya Poshan Maah is planned in the month of September 2020. The Ministry of Women & Child Development is the Nodal Ministry for coordinating activities during Poshan Maah. WCD/Social Welfare Departments in the States/UTs shall coordinate the activities at their end.

3. Early identification of severe acute malnourished (SAM) children is important in initiating treatment and minimizing the risk of complications. Therefore, one of the objective of Rashtriya Poshan Maah 2020 is the identification and referral of SAM and MAM children, while adhering to COVID-19 protocols as mandated by administration from time to time.

4. Breastfeeding together with complementary feeding helps prevention of malnutrition and is an important strategy for improving child survival. Early initiation and exclusive breastfeeding should be intensively promoted for children upto the age of 6 months during the POSHAN Maah.

5. It has also been decided to focus on plantation of Kitchen/Nutri Gardens. Families/Communities could be encouraged to plant nutritious vegetable and fruit bearing plants/trees. Potted plants/Terrace gardens can be encouraged in the absence of land. Sowing fruit and other nutrition rich trees on forest/community/waste land for the benefit of the community may be encouraged. The kitchen garden should be encouraged in AWCs, Schools, Government buildings, as well as at household level in personal backyards and roof-top kitchen gardens/potted plants in urban areas etc. Inter-departmental partnerships can further enhance the reach and success of the Kitchen Garden focused initiatives.

6. A brief note containing suggestive activities to be undertaken by various Departments during Poshan Maah is **enclosed** herewith. As a valuable partner in the crusade against malnutrition, you may like to add suitable activities under the banner of PoshanMaah, to strengthen the Jan Andolan, keeping in view the COVID- 19 scenario. All the activities are being uploaded on Jan Andolan Dashboard Portal www.poshanabhiyaan.gov.in by the respective Ministries/Departments and States/UTs on daily basis.

Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Tel. : 011-23383586, 011-23386731 Fax : 011-23381495 E-mail : secy.wcd@nic.in

7. States/UTs are encouraged to extensively use mass media, outdoor media, print media and social media in order to bring visibility to Rashtriya Poshan Maah 2020.

8. I would therefore request you to direct the officers of your States/UTs at all levels to wholeheartedly engage in these activities and encourage community participation in Rashtriya Poshan Maah 2020. Further, a meeting may be convened under your Chairmanship to plan activities and successful conduct of Rashtriya Poshan Maah 2020.

With regards,

Yours sincerely,

Sd./-

(Ram Mohan Mishra)

Chief Secretaries of the States/UTs

Copy to

Principal Secretaries/Secretaries of the Department of WCD/Social Welfare of the 36 States/UTs

(Ram Mohan Mishra)

182

समेकित बाल विकास सेवाएँ(आई. सी. डी. एस.) अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह सितम्बर 2020 में अयोजित होनेवाली गतिविधियों की विवरणी

स्तर	सप्ताह - 1 (दिनांक 1-7 सितम्बर, 2020)		
	गतिविधि	तिथि	कार्यक्रम स्थल
राज्य	मीडिया कार्यशाला सह पोषण माह शुभारंभ (आभासी)	1 सितम्बर	पटना
	वेबनाएर श्रंखला(आभासी)	2-5 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
	मास मीडिया गतिविधि (टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन; सोशल मीडिया मंचो, Youtube पर ECCE / पोषण सन्देश)	1-7 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
	महामहिम राज्यपाल, माननीय मंत्री (समाज कल्याण) का संदेश	1-7 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
जिला	पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना	1-7 सितम्बर	ज़िला मुख्यालय
	ई रिक्शा /टेम्पो / रिक्शा पर पोषण संदेशो का प्रचार	1-7 सितम्बर	ज़िला मुख्यालय
	सघन अनुश्रवण	1-7 सितम्बर	सम्पूर्ण पोषक क्षेत्र
परियोजना	पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना	1-7 सितम्बर	प्रखण्ड मुख्यालय
	प्रखण्ड अभिसरण (BCAP) बैठक	1-7 सितम्बर	प्रखण्ड मुख्यालय
	ई रिक्शा /टेम्पो / रिक्शा पर पोषण संदेशो का प्रचार	1-7 सितम्बर	सभी पंचायत
	सघन अनुश्रवण	1-7 सितम्बर	सम्पूर्ण पोषक क्षेत्र
गॉव	जननी सेवा सप्ताह का आयोजन	1-7 सितम्बर	लाभार्थियों का घर
	गोद भराई दिवस आयोजन	7 सितम्बर	लाभार्थियों का घर
	ग्राम स्वास्थ्य, स्वछता एवं पोषण दिवस (VHSND) - सूक्ष्म-योजना अनुसार	2 एवं 4 सितम्बर	आँगनवाड़ी केंद्र
	पोषण नारों का दिवाल लेखन	1-7 सितम्बर	आगॅनबाडी केन्द्र का पोषक क्षेत्र
	घर घर क्यारी, पोषण थाली अभियान का शुभारम्भ सह पौधा रोपण	1-7 सितम्बर	आगनवाडी केंद्र

स्तर	सप्ताह - 2 (दिनांक 8-13 सितम्बर, 2020)		
राज्य	मास मीडिया गतिविधि (टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन; सोशल मीडिया मंचो, Youtube पर ECCE / पोषण सन्देश)	8-13 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
	ICDS हेल्पलाइन नंबर का संचालन	8-13 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
	दूरदर्शन / रेडियो / सामुदायिक रेडियो पर पैनल चर्चा	8-13 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
जिला	ज़िला अभिसरण (DCAP) बैठक	8-13 सितम्बर	ज़िला मुख्यालय
	पोषण परामर्श केंद्र की संचालन	8-13 सितम्बर	ज़िला मुख्यालय
	ई रिक्शा /टेम्पो / रिक्शा पर पोषण संदेशो का प्रचार	8-13 सितम्बर	ज़िला मुख्यालय
	सघन अनुश्रवण	8-13 सितम्बर	सम्पूर्ण पोषक क्षेत्र
परियोजना	पोषण परामर्श केंद्र की संचालन	8-13 सितम्बर	प्रखण्ड मुख्यालय
	ई रिक्शा /टेम्पो / रिक्शा पर पोषण संदेशो का प्रचार	8-13 सितम्बर	सभी पंचायत
	सघन अनुश्रवण	8-13 सितम्बर	सम्पूर्ण पोषक क्षेत्र
गॉव	घर-घर आगनवाडी-सह-ECCE सप्ताह का आयोजन	8-13 सितम्बर	आगॅनबाडी केन्द्र
	ग्राम स्वास्थ्य, स्वछता एवं पोषण दिवस (VHSND) - सूक्ष्म-योजना अनुसार	9 एवं 11 सितम्बर	आँगनवाड़ी केंद्र
	पोषण एवं ECCE नारों का दिवाल लेखन	8-13 सितम्बर	आगॅनबाडी केन्द्र का पोषक क्षेत्र
	बच्चों के प्रति उत्तरदायी व्यवहार - “सजग” कार्यक्रम एवं घर घर क्यारी, पोषण थाली अभियान का संचालन	8-13 सितम्बर	लाभार्थी का घर

स्तर	सप्ताह - 3 (दिनांक 14-20 सितम्बर, 2020)		
	गतिविधि	तिथि	कार्यक्रम स्थल
राज्य	राज्य अभिसरण (SCAP) बैठक	14-20 सितम्बर	पटना
	मास मीडिया गतिविधि (टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन; सोशल मीडिया मंचो, Youtube पर ECCE / पोषण सन्देश)	14-20 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
	ICDS हेल्पलाइन नंबर का संचालन	14-20 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
	धार्मिक गुरुओं के साथ समन्वय बैठक	14-20 सितम्बर	पटना
जिला	पोषण परामर्श केंद्र की संचालन	14-20 सितम्बर	ज़िला मुख्यालय
	ई रिक्शा /टेम्पो / रिक्शा पर पोषण संदेशो का प्रचार	14-20 सितम्बर	ज़िला मुख्यालय
	सघन अनुश्रवण	14-20 सितम्बर	सम्पूर्ण पोषक क्षेत्र
परियोजना	पोषण परामर्श केंद्र की संचालन	7-13 सितम्बर	प्रखण्ड मुख्यालय
	ई रिक्शा /टेम्पो / रिक्शा पर पोषण संदेशो का प्रचार	7-13 सितम्बर	सभी पंचायत
	सघन अनुश्रवण	14-20 सितम्बर	सम्पूर्ण पोषक क्षेत्र
गाँव	शिशु देखभाल सप्ताह का आयोजन	14-20 सितम्बर	लाभार्थियों का घर
	अन्नप्राशन दिवस का आयोजन	19 सितम्बर	लाभार्थियों का घर
	बच्चों के प्रति उत्तरदायी व्यवहार - “सजग” कार्यक्रम एवं घर घर क्यारी, पोषण थाली अभियान का संचालन	7-13 सितम्बर	लाभार्थी का घर
	ग्राम स्वास्थ्य, स्वछता एवं पोषण दिवस (VHSND) - सूक्ष्म-योजना अनुसार	16 एवं 18 सितम्बर	आँगनवाड़ी केंद्र

179

स्तर	सप्ताह - 4+5 (दिनांक 21-30 सितम्बर)		
राज्य	मास मीडिया गतिविधि (टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन; सोशल मीडिया मंचो, Youtube पर ECCE / पोषण सन्देश)	21-30 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
	हेल्पलाइन नंबर का संचालन	21-30 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
	6-8 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रशनोत्तरी प्रतियोगिता (ECCE / पोषण)	21-30 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
	जनसमुदाय के लिए ऑनलाइन प्रशनोत्तरी प्रतियोगिता (ECCE / पोषण)	21-30 सितम्बर	सम्पूर्ण राज्य
जिला	पोषण परामर्श केंद्र की संचालन	21-30 सितम्बर	ज़िला मुख्यालय
	ई रिक्शा /टेम्पो / रिक्शा पर पोषण संदेशो का प्रचार	21-30 सितम्बर	ज़िला मुख्यालय
	सघन अनुश्रवण	21-30 सितम्बर	सम्पूर्ण पोषक क्षेत्र
प्रखण्ड / परियोजना	पोषण परामर्श केंद्र की संचालन	21-30 सितम्बर	प्रखण्ड मुख्यालय
	ई रिक्शा /टेम्पो / रिक्शा पर पोषण संदेशो का प्रचार	21-30 सितम्बर	प्रखण्ड मुख्यालय
	सघन अनुश्रवण	21-30 सितम्बर	सम्पूर्ण पोषक क्षेत्र
गॉव	शिशु देखभाल सप्ताह का आयोजन	21-30 सितम्बर	लाभार्थियों का घर
	वृद्धि निगरानी द्वारा अतिकुपोषित बच्चों की पहचान	21-30 सितम्बर	आँगनवाड़ी केंद्र
	3-6 वर्ष के केंद्र पर पंजीकृत बच्चों के साथ चित्रांकन प्रतियोगिता संचालन	21-30 सितम्बर	लाभार्थियों का घर
	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) - सूक्ष्म-योजना अनुसार	23, 25 एवं 30 सितम्बर	आँगनवाड़ी केंद्र